

भारत सरकार  
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय  
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या: \*207

दिनांक 13 फरवरी, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में रिक्त पद

\*207. श्री किशोरी लाल:

श्री बापी हलदर:

क्या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश भर के विभिन्न अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानों (एम्स) में संकाय और गैर-संकाय श्रेणी के अनेक पद रिक्त हैं;

(ख) यदि हां, तो स्वीकृत पदों की तुलना में ऐसे रिक्त पदों का संस्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) एम्स जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में चिकित्सकों/संकाय और गैर-संकाय श्रेणी के रिक्त पदों को भरने में विलंब के प्रमुख कारण क्या हैं;

(घ) क्या विगत तीन वर्षों के दौरान एम्स, दिल्ली के विभिन्न संकायों में कार्यरत अनेक चिकित्सकों द्वारा अपनी सेवाओं से त्यागपत्र दिए जाने की सूचना मिली है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार का रोगियों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए एम्स, रायबरेली के विस्तार हेतु कोई योजना बनाने का विचार है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री

(श्री जगत प्रकाश नड्डा)

(क) से (छ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

**दिनांक 13 फरवरी, 2026 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 207\* के उत्तर में उल्लिखित विवरण**

(क) से (ग): विभिन्न कार्यशील अखिल भारतीय आयुर्वेद विज्ञान संस्थानों (एआईआईएम) में स्वीकृत, भरे हुए और रिक्त संकाय एवं गैर-संकाय पदों का विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है।

पदों का सृजन और भर्ती एक सतत और गतिशील प्रक्रिया है। संकाय/गैर-संकाय पदों की रिक्तियों को भरना कई कारकों पर निर्भर करता है, जिनमें उपयुक्त/पात्र/योग्य डॉक्टरों/स्वास्थ्य पेशेवरों की उपलब्धता, आरक्षण रोस्टर, संस्थान का स्थान आदि शामिल हैं। पीएमएसएसवाई के तहत नव स्थापित एम्स में स्वीकृत रिक्त पदों को शीघ्रता से भरने के लिए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित विशेष उपाय किए गए हैं:

(i) संकाय सदस्यों आदि के चयन के लिए प्रत्येक संस्थान के संबंधित अधिनियम के उपबंधों के अनुसार स्थायी चयन समिति का गठन किया गया है। प्रत्येक संस्थान को वर्ष में स्थायी चयन समिति की चार बैठकों को आयोजित करने का आदेश दिया गया है।

(ii) नए एम्स में राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों (आईएनआई) और सरकारी मेडिकल कॉलेजों (जीएमसी) से 70 वर्ष की आयु तक के सेवानिवृत्त संकाय सदस्यों को प्रोफेसर, एडिशनल प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर स्तर पर संविदा आधार पर नियुक्त करने का प्रावधान किया गया है।

(iii) भारत के सरकारी संस्थानों या भारत के बाहर के शैक्षणिक संस्थानों में कार्यरत प्रोफेसरों, एडिशनल प्रोफेसरों और एसोसिएट प्रोफेसरों को शिक्षण उद्देश्यों के लिए नए एम्स में विजिटिंग फैकल्टी के रूप में कार्य करने की अनुमति देने के लिए विजिटिंग फैकल्टी योजना तैयार की गई है।

(iv) विभिन्न एम्स में नर्सिंग अधिकारियों की भर्ती के लिए एम्स दिल्ली द्वारा नर्सिंग अधिकारी भर्ती सामान्य पात्रता परीक्षा (एनओआरसीईटी) वर्ष में दो बार आयोजित की जाती है।

(v) विभिन्न एम्स में ग्रुप बी और सी के गैर-संकाय पदों पर भर्ती के लिए एम्स दिल्ली द्वारा सामान्य भर्ती परीक्षा (सीआरई) वर्ष 2025 में दो बार आयोजित की गई थी।

(vi) जूनियर रेजिडेंट (अकादमिक) के चयन के लिए राष्ट्रीय महत्व के संस्थान संयुक्त प्रवेश परीक्षा (आईएनआई-सीईटी) और विभिन्न एम्स में सीनियर रेजिडेंट (अकादमिक) के चयन के लिए राष्ट्रीय महत्व का संस्थान सुपर स्पेशलिटी (आईएनआई-एसएस) परीक्षा एम्स दिल्ली द्वारा वर्ष में दो बार आयोजित की जाती है।

(घ) से (ङ): वर्तमान में, एम्स नई दिल्ली में 860 संकाय सदस्य कार्यरत हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान एम्स नई दिल्ली में संकाय सदस्यों द्वारा दिए गए इस्तीफे का वर्षवार विवरण निम्नलिखित है:

वर्ष	2023	2024	2025
त्यागपत्र देने वाले संकाय-सदस्यों	19	13	12

(च) से (छ): एम्स रायबरेली वर्तमान में 610 बिस्तर के साथ कार्यशील है। संस्थान में फिलहाल 34 कार्यशील विभाग हैं, जिनमें 25 सामान्य विशेषज्ञताएँ और 9 सुपर विशेषज्ञताएँ शामिल हैं। संस्थान में विभिन्न सुविधाओं का विस्तार चरणबद्ध तरीके से किया जाता है।

\*\*\*\*\*

सभी एम्स में संकाय और गैर-संकाय पदों की स्थिति

क्र. सं.	एम्स	संकाय पद			गैर-संकाय पद		
		स्वीकृत	पदस्थ	रिक्त	स्वीकृत	पदस्थ	रिक्त
1.	नई दिल्ली (दिल्ली)	1306	860	446	13911	11369	2542
2.	भोपाल (मध्य प्रदेश)	312	241	71	3874	2920	954
3.	भुवनेश्वर (ओडिशा)	337	238	99	3963	2937	1026
4.	जोधपुर (राजस्थान)	405	221	184	4048	3322	726
5.	पटना (बिहार)	305	219	86	3884	2752	1132
6.	रायपुर (छत्तीसगढ़)	305	200	105	3884	2815	1069
7.	ऋषिकेश (उत्तराखंड)	355	229	126	4095	2951	1144
8.	बठिंडा (पंजाब)	219	143	76	2090	1453	637
9.	बीबीनगर (तेलंगाना)	183	132	51	1374	898	476
10.	बिलासपुर (हिमाचल प्रदेश)	217	130	87	1511	987	524
11.	देवघर (झारखंड)	208	132	76	1712	940	772
12.	गोरखपुर (उत्तर प्रदेश)	213	117	96	1492	949	543
13.	गुवाहाटी (असम)	183	117	66	1630	879	751
14.	जम्मू (जम्मू और कश्मीर)	183	119	64	1311	935	376
15.	कल्याणी (पश्चिम बंगाल)	309	175	134	2221	1171	1050
16.	मदुरै (तमिलनाडु)	183	70	113	911	40	871
17.	मंगलगिरि (आंध्र प्रदेश)	309	171	138	1953	1291	662

18.	नागपुर (महाराष्ट्र)	373	238	135	2107	1395	712
19.	रायबरेली (उत्तर प्रदेश)	209	111	98	1613	1120	493
20.	राजकोट (गुजरात)	183	78	105	1410	665	745

\*\*\*\*\*